

अंतरिम बजट 2019-2020

वित्त मंत्री

पीयूष गोयल

का

भाषण

1 फरवरी, 2019

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भाग-क

2. आज मुझे श्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति बहुत खल रही है। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे साथ श्री जेटली के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा के लिए उनकी दीर्घायु की कामना करेगा।
3. अध्यक्ष महोदया, भारत की जनता ने इस सरकार को मजबूत जनादेश दिया। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सर्वाधिक निर्णायक, स्थिर और स्वच्छ सरकार दी है और परिवर्तनकारी संरचनागत सुधार शुरू किए हैं। हमने उस नीतिगत अवरोध को उलट दिया है जिससे यह राष्ट्र पीड़ित था और हमने देश की छवि को सुधारा-संवारा है। इस सरकार की उपलब्धि रही कि हमने सोच को बदलने के अथक प्रयास किए और देश के आत्मविश्वास को जगाया।
4. मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारत पूरी मजबूती से वापस विकास-पथ पर लौट आया है और विकास एवं समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। हमने सतत विकास, प्रगति और हमारी जनता के लिए बेहतर जीवन स्तर की बुनियाद रख दी है।
5. हम वर्ष 2022 तक, 'न्यू इंडिया' साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा : एक ऐसा भारत जो स्वच्छ और स्वस्थ है, जहां हरेक के पास अपना घर होगा जिसमें शौचालय होगा और पानी एवं बिजली उपलब्ध होगी; जहां किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी होगी; युवा वर्ग और महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर मिलेंगे; और एक ऐसा भारत जो आतंकवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से मुक्त होगा।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

6. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता मिली है। इस अवधि में देश में वृहत आर्थिक स्थिरता का सर्वोत्तम दौर देखा गया। हम विश्व की सबसे तेज विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था हैं जिसकी औसत जीडीपी वृद्धि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार द्वारा हासिल की गई सर्वाधिक दर है। वर्ष 2013-14 में विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दर्जे से बढ़ते हुए आज हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उच्च वृद्धि दर हासिल करने के अलावा, हमने द्विअंकीय मुद्रास्फीति पर काबू पाया है और राजकोषीय संतुलन बहाल किया है।
7. मुद्रास्फीति गरीबों और मध्यम वर्ग पर आरोपित एक छुपे हुए और अन्यायपूर्ण कर के समान है। वर्ष 2009-2014 के दौरान मुद्रास्फीति की औसत दर 10.1 प्रतिशत की कमर तोड़ दर रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने काफी हद तक यह स्वीकार किया जब उन्होंने कहा *“हम जितना चाहते थे, सतत् मुद्रास्फीति को काबू में रखने में हम उतना सफल नहीं हो पाए हैं। यह मूलतः खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के कारण हुआ है।”* इसकी तुलना में, हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी। हमने औसत मुद्रास्फीति को कम करके उसे 4.6 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया जो किसी भी अन्य सरकार के कार्यकाल के दौरान की मुद्रास्फीति से कम है। वस्तुतः दिसम्बर, 2018 में मुद्रास्फीति केवल 2.19 प्रतिशत थी। यदि हमने मुद्रास्फीति पर काबू नहीं पाया होता, तो हमारे परिवार आज भोजन, यात्रा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, आवास इत्यादि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर लगभग 35-40 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे होते।
8. राजकोषीय घाटा छह वर्ष पूर्व के लगभग 6 प्रतिशत के उच्च स्तर से कम करके 2018-19 संशोधित अनुमान में 3.4 प्रतिशत पर लाया गया। छह वर्ष पहले चालू खाता घाटा के 5.6 प्रतिशत के उच्च स्तर के मुकाबले इस वर्ष इसके जीडीपी के केवल 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिशों, जिन्हें हमने सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से स्वीकार किया, जिसके कारण राज्यों को उल्लेखनीय रूप से उच्चतर राशि के अंतरण के बावजूद हमने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखा है।
9. स्थिर और पूर्वानुमान योग्य विनियामक व्यवस्था, विकसित होती अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ मूल सिद्धांतों के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत भारी मात्रा में 239 बिलियन डालर तक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित कर सका है। इस अवधि में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के उदारीकरण में तेजी भी देखने को मिली है, जिससे अधिकांश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः मार्ग के जरिए किया जा रहा है।
10. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में अगली पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की लहर रही है, जिससे कई दशकों के लिए उच्च वृद्धि का मंच तैयार हुआ है। हमने, माल और सेवा कर (जीएसटी) तथा अन्य कराधान सुधार शुरू करके आमूल सुधार लाए हैं।

बैंकिंग सुधार और शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी)

11. वर्ष 2008-14 की अवधि अत्यधिक ऋण वृद्धि की अवधि के रूप में याद की जाएगी और जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अनर्जक ऋणों और भारग्रस्त आस्तियों में वृद्धि के लिए मुख्य कारण है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण इस अवधि के दौरान ₹18 लाख करोड़ से बहुत अधिक बढ़कर ₹52 लाख करोड़ हो गया। बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गईं जो या तो पूरी नहीं की गईं या उनके उपयोग की क्षमता कम थी जिसके फलस्वरूप अपने ऋणों की अदायगी करने में वे असमर्थ रहे। 2014 में ₹5.4 लाख करोड़ मूल्य की बहुत अधिक भारग्रस्त और अनर्जक परिसंपत्तियां थीं। बहुत सी परिसंपत्तियां पुनर्संरचना तरीके के जरिए छिपाई गईं थीं या अन्य जिनकी जानकारी वर्ष 2015 से शुरू की गई परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षाओं और निरीक्षणों के दौरान मिली।

12. हमने ऐसे संदिग्ध प्रचालनों को बंद किया और "फोन बैंकिंग" की संस्कृति समाप्त की। पहचान, समाधान, पुनः पूंजीकरण और सुधारों का अनुसरण किया गया है। स्वच्छ बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपायों को कार्यान्वित किया गया है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया के जरिए हमने इन अनर्जक आस्तियों की पहचान की है। शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता ने समाधान-अनुकूल तंत्र को संस्थानगत रूप दिया, जो अंतर्निहित व्यवसायों और नौकरियों को बरकरार रखते हुए अनर्जक ऋणों की वसूली में सहायता कर रहा है। पहले सिर्फ छोटे बिजनेसमैन पर ऋण वापस करने का दबाव होता था और बड़े बिजनेसमैन के लोन की चिंता बैंक की होती थी। परन्तु आज चूककर्ता प्रबंधन तंत्र या तो इसका भुगतान कर रहे हैं या अपना कारोबार छोड़ रहे हैं। बैंकों और ऋणदाताओं के पक्ष में तकरीबन ₹3 लाख करोड़ की राशि पहले ही वसूली जा चुकी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बहाल करने के लिए ₹2.6 लाख करोड़ का निवेश करके पुनः पूंजीकरण किया गया है। बैंकों का एकीकरण भी किया गया है ताकि किफायत बरतने की विधियों, पूंजी तक बेहतर पहुंच का लाभ उठाया जा सके तथा अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम

13. हमने पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत की है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (आरईआरए) और बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 स्थावर संपदा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने में सहायता कर रहे हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 उन आर्थिक अपराधियों की परिसंपत्तियों को जब्त करने और उनका निबटान करने में सहायता करेगा, जो देश के न्यायाधिकार से बच निकलते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने कोयला और स्पेक्ट्रम सहित प्राकृतिक संसाधनों की पारदर्शी नीलामी की है। हमने जो कहा सो किया।

स्वच्छता

14. वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की मदद से विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन आंदोलन आरंभ किया है। भारत

ने लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हासिल की है और लगभग 5.45 लाख गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यक्रम है और लोगों की सोच बदलने में सफल रहा है। व्यापक जन भागीदारी से लोगों ने इसे एक सरकारी योजना से राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए मैं देश की 130 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसे पूरे हृदय से अपनाया।

गरीब और पिछड़े वर्ग

15. देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। सरकार ने मौजूदा आरक्षण, जो कि एससी/एसटी/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है, को पूर्ण रूप से बरकरार रखते हुए, गरीबों के लिए भी अब शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन संस्थानों में औसतन 25% अतिरिक्त सीट्स, (लगभग 2 लाख) उपलब्ध कराई जाएगी जिससे किसी भी वर्ग हेतु वर्तमान में उपलब्ध/आरक्षित सीट्स में कोई कमी न आए।

16. गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में लगभग ₹1,70,000 करोड़ व्यय किए गए जो वर्ष 2013-14 में खर्च किए गए ₹92,000 करोड़ से लगभग दोगुना है। हमने यह सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़े। मनरेगा के लिए ब.अ. 2019-20 में ₹60,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर और भी धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

17. हमने देश में शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने के लिए काम किया है। इस गरिमायम सदन में माननीय सदस्य, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, इस बात पर सहमत होंगे कि विगत में अनेकों बार ग्रामीण जनता के लिए खोखले वादे किए गए हैं। हमने पिछले पांच वर्षों के दौरान, उनके जीवन की गुणवत्ता चहुं ओर से सुधारने के लिए लक्षित व्यय किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि गाँव की आत्मा बरकरार रखते हुए शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों।

18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तीन गुना वृद्धि हुई है। कुल 17.84 लाख बस्तियों में से 15.80 लाख बस्तियों को पक्की सड़कों से पहले ही जोड़ा जा चुका है और बहुत जल्द ही शेष कार्य पूरा करने का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ब.अ. 2019-20 में ₹19,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है जबकि सं.अ. 2018-19 में इसके लिए ₹15,500 करोड़ का आवंटन दिया गया था। जहां पहले एक गरीब बच्चा टूटी पगडंडी पर चल कर स्कूल पहुंचता था, आज उसके गांव तक बस पहुंच सकती है। 2014-18 की अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 1.53 करोड़ मकान बनाए गए हैं।

19. 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के 18वीं सदी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में, निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना ₹50,000 करोड़ की बचत हो रही है।

20. अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल में बहुत अधिक प्रगति हुई है। पहले एक गरीब व्यक्ति इस धर्म संकट में होता था कि वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। हमारे प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। हमने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' शुरू किया है जो लगभग 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा उपचार मुहैया कराएगा। पहले ही लगभग 10 लाख रोगियों ने स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध निःशुल्क उपचार के जरिए चिकित्सा उपचार का फायदा उठाया है जिसके लिए ₹3,000 करोड़ खर्च करना पड़ता। लाखों निर्धन और मध्य वर्ग के लोग आवश्यक दवाइयों, कार्डियक स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमत में कटौती और प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के जरिए कम मूल्य पर दवाइयों की उपलब्धता से भी लाभान्वित हो रहे हैं।

21. इस समय देश में 21 एम्स कार्यरत हैं या स्थापित किए जा रहे हैं। इन 21 एम्स में से 14 एम्स की घोषणा 2014 से की गई है। 22वां नया एम्स हरियाणा में खोलने की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

22. महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम देश के 115 अति पिछड़े जिलों में लक्षित विकास कर रहा है। इस कार्यक्रम से उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए गए हैं और सभी संकेतकों-स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के कार्यनिष्पादन में सुधार आया है।

किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि

23. अध्यक्ष महोदया, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार, सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित किया है।

24. कृषि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बनी हुई है। हमारे परिश्रमी किसानों ने विगत साढ़े चार वर्षों में सरकार की किसान समर्थक नीतियों से सहायता पाकर रिकार्ड मात्रा में कृषि वस्तुओं का उत्पादन किया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि संबंधी वस्तुओं की गिरती कीमतें और 2017-18 से खाद्य भिन्न क्षेत्र के सापेक्ष भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से, कृषि से आमदनी कम हो गई है। बारंबार विभाजन के कारण छोटी और विखंडित जोतों के कारण भी कृषक परिवार की आय में गिरावट आई है। इसलिए, देश में निर्धन भू-स्वामी किसान परिवारों को संरचित आय सहायता मुहैया कराने की आवश्यकता है जैसे बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम आदि इन्पुट खरीदने में और अन्य आवश्यकताएं पूरी करने में मदद करना। ऐसी सहायता से उन्हें ऋण ग्रस्त होने तथा साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकता है।

25. छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अर्थात् 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान' शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी कमजोर भू-स्वामी किसान परिवारों

को प्रति वर्ष ₹6000 की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह आय सहायता प्रत्येक ₹2000 की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का निधि पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की आशा है। इस कार्यक्रम को 1 दिसम्बर, 2018 से लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए पहली किस्त का भुगतान इसी वर्ष के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रम से ₹75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।

26. 'पीएम-किसान' कार्यक्रम से अति निर्धन किसान परिवारों को न केवल निश्चित पूरक आय प्रदान की जाएगी अपितु विशेषकर कटाई के मौसम से पहले उनकी आकस्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। 'पीएम-किसान' किसानों के लिए आय अर्जित करने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

27. मैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'पीएम-किसान' हेतु ₹75,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। मैं वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में ₹20,000 करोड़ भी देता हूँ।

28. पिछले पांच वर्षों में, किसानों को सस्ते ऋण देने के लिए *ब्याज सब्सिडी* की राशि को दोगुना कर दिया गया है। किसानों का फसली कर्ज 2018-19 में बढ़कर ₹11.68 लाख करोड़ हो गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उत्तम बीज, सिंचाई योजना और नीम कोटेड यूरिया द्वारा खाद की कमी को दूर कर, किसान की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास हुआ है।

29. पशुपालन और मात्स्यिकी क्षेत्र को भी काफी सहायता की जरूरत है। मैंने इसी मौजूदा साल में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के लिए आवंटन को बढ़ाकर ₹750 करोड़ कर दिया है। गऊ संसाधनों के आनुवंशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने और गायों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' बनाने की घोषणा करता हूँ। यह आयोग गायों के लिए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और कल्याणकारी स्कीमों के कार्य को भी देखेगा।

30. भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जिसकी वैश्विक उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। हालिया वर्षों में भारत ने 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह सेक्टर प्राथमिक स्तर पर लगभग 1.45 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस सेक्टर के विकास पर निरंतर पूरा ध्यान देने के लिए, सरकार ने अलग से **मत्स्य पालन विभाग** बनाने का निर्णय लिया है।

31. पिछले बजट में, हमारी सरकार ने पशुपालन और मछलीपालन में लगे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (केसीसी) की सुविधा देने की घोषणा की थी। मैं, अब पशुपालन और मछली पालन के कार्यकलापों में कार्यरत उन किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लाभ का प्रस्ताव करता हूँ जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं। यही नहीं, यदि वे अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं तो उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी।

32. सुलभ एवं रियायती ऋण सुनिश्चित करने तथा सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाने के लिए, हमारी सरकार ने एक सरलीकृत आवेदन फार्म लाकर व्यापक अभियान चलाने की पहल करने का निर्णय लिया है।

33. जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तब आमतौर पर किसान अपने फसल ऋणों को चुका नहीं पाते हैं। वर्तमान में, फसल ऋणों को ऐसे प्रभावित किसानों के लिए पुनः निर्धारित किया गया है और वे 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ पुनः निर्धारित ऋण के पहले वर्ष के लिए ही प्राप्त कर पाते हैं। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि गंभीर प्राकृतिक आपदाओं, जहां राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एनडीआरएफ) द्वारा सहायता पहुंचाई गई है, से प्रभावित सभी किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और उनके ऋणों के पुनर्निर्धारण की संपूर्ण अवधि के लिए तत्काल भुगतान के प्रोत्साहन के रूप में 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

मजदूर और कामगार की प्रतिष्ठा

34. अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और सरकारी सेवाओं में कार्यरत सभी लोगों को मिलना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में भारत में औद्योगिक शांति का माहौल रहा है।

35. तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके औपचारीकरण ने रोजगार अवसरों को बढ़ाया है जैसा कि ईपीएफओ सदस्यता में दर्शाया गया है, जहां दो वर्षों में रोजगार अवसरों में लगभग 2 करोड़ की वृद्धि हुई है जो अर्थव्यवस्था और रोजगार के औपचारीकरण को प्रतिबिंबित करता है।

36. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसकी सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया गया। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को और उदार किया गया। कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14% कर दिया है। श्रमिकों को दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को ₹3,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर ₹7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा को ₹10,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दिया गया। ग्रेच्युटी के भुगतान की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख किया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी श्रेणी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42% की वृद्धि हुई जो आज तक सर्वाधिक है। ईएसआई की सुरक्षा पात्रता की सीमा भी ₹15,000 प्रति माह से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दी गई। प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन भी ₹1,000 प्रति माह तय कर दी गई है। सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफओ द्वारा राशि ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख तक सुनिश्चित की गई है। आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्मिकों के मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

37. भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के उन 42 करोड़ कामगारों के पसीने और अथक परिश्रम से बनता है जो रेहड़ी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इस तरह के अन्य कई सारे व्यवसाय करते हैं। घरेलू कामगार भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें, खासकर उनकी वृद्धावस्था के दौरान। इसलिए, 'आयुष्मान भारत' के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा और 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' तथा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के अंतर्गत प्रदान की गई जीवन और विकलांगता

संबंधी बीमा कवरेज के अलावा हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** नामक वृहत पेंशन योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करती है जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है। इस पेंशन योजना से अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान करने से उन्हें 60 वर्ष की आयु से ₹3000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल ₹100 प्रति माह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा। 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को मात्र ₹55 प्रतिमाह का अंशदान करना होगा। सरकार प्रत्येक माह कामगार के पेंशन खाते में बराबर की राशि जमा करेगी। आशा है कि अगले पांच वर्षों के भीतर असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिक और कामगार **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन** योजना का लाभ लेंगे जिससे यह योजना विश्व की सबसे बड़ी पेंशन स्कीमों में से एक बन जाएगी। इस स्कीम के पहले साल के लिए ₹500 करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त निधियां भी प्रदान की जाएंगी। यह स्कीम चालू वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी।

38. हमारी सरकार देश के सबसे अधिक वंचित नागरिकों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये समुदाय मुख्यधारा से कटे हुए हैं और संख्या में कम हैं, इसलिए प्रायः पीछे छूट जाते हैं। घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदाय अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं। रेणके आयोग और इदाते आयोग ने इनकी पहचान करने और इन्हें सूचीबद्ध करने में प्रशंसनीय कार्य किया है। जिन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों को अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनकी पहचान का कार्य पूरा करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकार विमुक्त, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु समुदायों के लिए कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक कल्याण विकास बोर्ड भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड पहुंच से दूर इन समुदायों के कल्याण हेतु विशेष कार्यनीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

महिला विकास से महिला प्रेरित विकास

39. अध्यक्ष महोदया, हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हम ग्रामीण भारत की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करके इनके जीवन के स्तर में सुधार लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गृहिणी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय आंसू न बहाने पड़ें, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना में 6 करोड़ कनेक्शन पहले ही दिए जा चुके हैं और शेष मुफ्त कनेक्शन अगले साल तक दिए जाएंगे। उज्ज्वला सरकार के कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण सफल गाथा है जिसे एक जिम्मेदार और करुणामय नेतृत्व के अधीन साहसिक किंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है।

40. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं जो अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने के लिए किफायती और बिना कोलेटरल के ऋण प्राप्त कर रही हैं। अन्य कई उपायों में, गर्भवती महिलाओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ दिया गया है जिससे गर्भवती महिलाएं काम में सहभागी बनने में सक्षम होंगी।

अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए युवा वर्ग का सशक्तिकरण

41. भारत विश्व के सर्वाधिक युवा-राष्ट्र में से एक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमने मुद्रा, स्टार्ट-अप-इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी स्व-रोजगार स्कीमों के माध्यम से युवा शक्ति का दोहन किया है। मुद्रा योजना के तहत 15.56 करोड़ ऋण दिए गए हैं जिनकी कुल राशि ₹7,23,000 करोड़ बैठती है। पूरी दुनिया में रोजगार की कल्पना बदल रही है, अब सिर्फ सरकारी नौकरियां या कारखाने में रोजगार उपलब्ध नहीं होता। नौकरी मांगने वाले अब स्वयं नौकरी देने में सक्षम हो गए हैं। इसके चलते, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब बन गया है। हमारे युवाओं की कड़ी मेहनत और विचारों की नवीनता से हम सब गौरवान्वित हैं।

42. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसे उत्कृष्टा केंद्रों के साथ एक हब के रूप में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना से उत्प्रेरणा मिलेगी। 9 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। एक राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल भी शीघ्र विकसित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों और व्यापारियों का सशक्तिकरण

43. सरकार ने करोड़ों को रोजगार देने वाले लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हाल ही में सिर्फ 59 मिनट में ₹1 करोड़ तक के ऋण की योजना शुरू की गई है। जीएसटी-रजिस्टर्ड एसएमई इकाइयों को 1 करोड़ की वृद्धिशील ऋण पर 2% ब्याज की छूट मिलेगी। सरकारी उपक्रमों से एसएमई की सोर्सिंग की आवश्यकता को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इसके लिए, कम से कम 3 प्रतिशत सामग्री महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उपक्रमों से प्राप्त की जाएगी।

44. हमारी सरकार ने दो साल पहले गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की स्थापना की थी। इसके जरिए सरकारी खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली और दक्ष होकर रुपान्तरित हो गई है। एमएसएमई भी अपने उत्पाद जीईएम के माध्यम बेच सकते हैं। जीईएम के माध्यम से, ₹17,500 करोड़ से अधिक का लेन-देन हो चुका है, जिससे औसतन 25-28% की बचत हुई है। जीईएम प्लेटफॉर्म की सेवाओं को अब केंद्र सरकार के सभी उद्यमों तक बढ़ाया जा रहा है।

45. हमने घरेलू व्यापार और सेवाओं को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने हाल ही में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग को "खुदरा व्यापार सहित आंतरिक व्यापार का संवर्द्धन और व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों का कल्याण" नामक विषय सौंपा है। अब इस विभाग का नाम 'उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' हो जाएगा।

रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का सुदृढीकरण

46. अध्यक्ष महोदया, हमारे सैनिक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारा गर्व और सम्मान हमारे सैनिक हैं। हमने भी उनके सम्मान का ख्याल रखा। अपने चुनावी घोषणा पत्र में, हमने 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू करने का वचन दिया था। पिछले 40 सालों से रुके हुए इस कार्य को अब हमने पूरा किया है। पिछली सरकारों ने तीन बजटों में इसकी घोषणा की थी परंतु उन्होंने वर्ष 2014-15 के अंतरिम बजट में मात्र ₹500 करोड़ मंजूर किए थे; इसके विपरीत हमने इस स्कीम को सही अर्थ में लागू करके ₹35,000 करोड़ से अधिक की राशि बांटी है। सरकार ने रक्षा सेवा के सभी कर्मिकों को मिलीटरी सर्विस पे (एमएसपी) और अधिक जोखिम वाली ड्यूटी पर तैनात नौ सैनिकों और वायु सैनिकों को दिए जाने वाले विशेष भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी की भी घोषणा की थी।

47. 2019-20 में हमारा रक्षा बजट पहली बार ₹3,00,000 करोड़ से अधिक हो जाएगा। हमारी सीमाओं की रक्षा करने और उच्च कोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यक हुआ, तो रक्षा बजट में और अधिक बढ़ोतरी की जाएगी।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को समर्थन

48. आज, भारतीय मूल के सभी व्यक्ति इस बात को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं कि उनकी मातृभूमि भारत उनकी शुभचिंतक है और जरूरत के समय उनकी सहायता की जाएगी। भारत के बदलते स्वरूप के कारण दुनिया भर में भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्ति को गर्व और सम्मान की अनुभूति होती है। हमने भारत के साथ इनके संपर्क को मजबूत बनाने, भारत में इनके निवेश को सुगम बनाने और इनकी यात्रा को सरल-सुखद बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

अवसंरचना का विकास

49. अवसंरचना किसी भी देश के विकास और अच्छे जीवन-स्तर की रीढ़ है। चाहे राजमार्ग हों या रेलवे या एयरवे या डिजि-वे ही क्यों न हों, हमने देश की कायापलट के लिए उत्तरोत्तर प्रगति का हर संभव प्रयास किया है।

50. आज तक सामान्य नागरिक भी "उड़ान" योजना के कारण हवाई जहाज में सफर कर पारा रहा है। सिक्किम में पेक्योंग हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ ही प्रचालनरत हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। घरेलू हवाई यातायात पिछले पांच वर्षों में दुगुना हो गया है जिसके फलस्वरूप रोजगार भी भारी संख्या में पैदा हुआ है। आज, प्रति दिन 27 कि.मी. राजमार्ग के निर्माण

के चलते भारत विश्व में सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला देश बन गया है। दिल्ली के आस-पास पूर्वी पेरिफेरल राजमार्ग अथवा असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल जैसी दशकों तक रूकी हुई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। देश के तटीय क्षेत्र में सागर माला के प्लैगशिप कार्यक्रम से पत्तनों का विकास होगा जिससे आयातों और निर्यातों का प्रबंधन करने में तेजी आएगी। पहली बार, कंटेनर माल की आवाजाही कोलकाता से वाराणसी तक अंतर्देशीय जलमार्गों पर शुरू हो चुकी है। हमारी सरकार ब्रह्मपुत्र नदी की नौवहन क्षमता में सुधार करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कंटेनर कार्गो की आवाजाही की शुरुआत करेगी।

51. भारतीय रेलवे के इतिहास में यह वर्ष सर्वाधिक सुरक्षित वर्ष रहा है। ब्रॉड गेज लाइनों पर सभी मानवरहित लेवल क्रासिंग को समाप्त कर दिया गया है। पहली देश में ही विकसित और विनिर्मित सेमी हाई स्पीड "वंदे भारत एक्सप्रेस" को चलाने से भारतीय यात्रियों को गति, सेवा और सुरक्षा का विश्व स्तरीय अनुभव प्राप्त होगा। हमारे इंजीनियरों द्वारा पूर्णतः विकसित प्रौद्योगिकी में यह बड़ी छलांग मेक इन इंडिया को गति प्रदान करेगी और रोजगार सृजित करेगी। रेलवे के लिए बजट से वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में ₹64,587 करोड़ की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव है। रेलवे का समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम ₹1,58,658 करोड़ है। प्रचालन अनुपात वर्ष 2017-18 के 98.4 प्रतिशत से सुधरकर वर्ष 2018-19 (सं.अ.) में 96.2 प्रतिशत तथा आगे और अधिक बेहतर होकर वर्ष 2019-20 (ब.अ.) में 95 प्रतिशत होने की संभावना है।

52. भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने में प्रतिबिंबित होती है, जो पहला संघि आधारित अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत की संस्थापित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले पांच वर्षों में दस गुना से अधिक हो गई है। यह क्षेत्र अब नए जमाने के लाखों रोजगार पैदा कर रहा हल

53. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत की निर्भरता हमारी सरकार के लिए बड़ी चिंता का कारण रहा है। यद्यपि हमने बायो ईंधन और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मांग वृद्धि को कम करने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, फिर भी हायड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयात को घटाया जा सके। हमारी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने विशिष्ट सिफारिशों की हैं जिनमें श्रेणी II और III बेसिन के लिए अन्वेषण की बोली प्रणाली को राजस्व साझेदारी के बजाय उच्च अन्वेषण कार्यक्रम में परिवर्तित करना शामिल है। सरकार शीघ्र ही इन सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी।

54. पूर्वोत्तर की जनता को भी अवसंरचना विकास के लाभ मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में हवाई मार्ग के मानचित्र पर दर्ज हुआ है तथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर उभरे हैं। 2018-19 (ब.अ.) की तुलना में 2019-20 (ब.अ.) में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर ₹58,166 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया क्रांति

55. अध्यक्ष महोदया, भारत अब दुनिया में मोबाइल डेटा का सर्वाधिक खपत करने वाले देश बन गया है। मोबाइल डेटा की मासिक खपत में पिछले पांच वर्षों में 50 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। भारत में अब कॉल और डेटा की कीमत संभवतः विश्व में सबसे कम हैं। आज, मेक इन इंडिया के अंतर्गत मोबाइल और मोबाइल पुर्जों की निर्माता कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक हो गई है जो रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर रही हैं। 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कराने के साथ-साथ नागरिकों को अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामान्य सेवा केंद्र गांवों में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं और डिजिटल ढांचा भी तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे गांव डिजिटल गांवों में बदल रहे हैं। सरकार 1 लाख गांवों को अगले पांच सालों में डिजिटल गांव बना देगी।

56. जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने दूरगामी परिवर्तन किए हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 50 वर्ष पहले किया गया था लेकिन देश का अधिकांश हिस्सा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अभाव में आर्थिक मुख्यधारा से अभी तक अछूता था। पिछले पांच वर्षों, में लगभग 34 करोड़ जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। आधार को अब सार्वभौम तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे बिचौलियों को समाप्त करके गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे उनके बैंक खातों में धन जमा करके सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

मनोरंजन

57. मनोरंजन उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र है। मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, फिल्मों की शूटिंग आसान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा जो केवल विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए उपलब्ध थी, अब भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है। विनियामक प्रावधान विशेषकर फिल्मों को मंजूरी देने के लिए स्व-घोषणा पर अधिक निर्भर रहेंगे। हम पाइरेसी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में एंटी कैमकॉर्डिंग प्रावधानों को भी शामिल करेंगे।

करदाताओं के लाभार्थ प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण

58. अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रत्यक्ष करदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए, हमने आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए कर दरों में कटौती की है और कर विभाग के साथ संपर्क को कहीं अधिक सरल और मुख्यतः चेहराविहीन बनाया है। इसके कारण कर संग्रहण वर्ष 2013-14 के ₹6.38 लाख करोड़ से काफी बढ़कर इस वर्ष लगभग ₹12 लाख करोड़ हो गया है। दाखिल की गई कर विवरणियों की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है जो कर आधार में 80 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। मैं भारत के ईमानदार करदाताओं को हमारी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने उनके अंशदान का उपयोग गरीबों की सेवा करने और बेहतर अवसंरचना विकसित करने के लिए किया है।

59. आयकर विभाग अब आनलाइन कार्य करता है। विवरणियों, निर्धारणों, धनवापसी तथा प्रश्नों पर आनलाइन कार्रवाई की जाती है। पिछले वर्ष, आयकर विवरणियों में से 99.54 प्रतिशत दाखिल करते ही स्वीकृत की गई थीं। सरकार ने आय कर विभाग को अधिक निर्धारिती हितैषी बनाने के लिए आमूल परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी गहन परियोजना को मंजूरी दी है। सभी विवरणियों को 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जाएगा और साथ-साथ धन वापसी जारी की जाएगी। अगले दो वर्षों के दौरान हम जांच-पड़ताल के लिए चुनी गई सभी विवरणियों का सत्यापन और मूल्यांकन अज्ञात बैंक आफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ढंग से कर सकेंगे जिसका संचालन कर विशेषज्ञ और कर्मचारी करेंगे जिसमें करदाता कर अधिकारियों के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर सकेंगे।

60. वर्ष 2014 में जबसे हमारी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से ही हमारी प्राथमिकता मध्यमवर्ग पर कर के भार को कम करने की रही है। हमने बुनियादी छूट की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख कर दी और कर में छूट दी ताकि ₹3 लाख तक आय वाले लोगों को कोई कर न देना पड़े। हमने ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक की कर स्लैब के लिए कर की दर में कमी कर 10% से 5% भी कर दिया और वेतनभोगी वर्ग के लिए ₹40,000 की मानक कटौती शुरू की। धारा 80ग के अंतर्गत बचत की कटौती को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख कर दिया गया। जिस मकान में रह रहे हों, ऐसी गृह संपत्ति के लिए ब्याज की कटौती को ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया।

61. छोटे व्यापारियों और स्टार्ट अप के लिए विशेष लाभ और प्रोत्साहन भी दिए गए। अनुपालन की पूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। व्यापार के पूर्वानुमानित कराधान के लिए प्रारंभिक सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई। आरंभिक सीमा ₹50 लाख रुपए करके पहली बार पूर्वानुमान कराधान का लाभ छोटे पेशेवरों को दिया गया। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूर्वानुमान लाभ दर 8% से घटाकर 6% कर दी गई है। ₹250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों, जिनमें लगभग 99% कंपनियां आती हैं, उनके लिए कर की दर कम करके उसे 25% किया गया। यह दर नई विनिर्माण कंपनियों के लिए भी लागू थी। जिनके लिए कारोबार की सीमा नहीं रखी गई है।

उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लाभ के लिए जीएसटी में सुधार

62. माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लगभग एक दशक तक खिंचता रहा। हमारी सरकार ने जीएसटी का कार्यान्वयन किया जो निस्संदेह आजादी मिलने के बाद कराधान के संबंध में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले और कर पर प्रपाती प्रभाव डालने वाले सत्रह अलग-अलग करों को एक जीएसटी में मिला दिया गया। भारत एक साझा बाजार बन गया। जीएसटी के कारण कर के आधार में बढ़ोत्तरी हुई है, ज्यादा कर वसूली हुई हैं और व्यापार में सुगमता आई है। जीएसटी से रोजमर्रा के प्रचालनों और मूल्यांकनों के लिए कर-दाता और सरकार के बीच का सम्पर्क कम होगा। अब विवरणियां पूरी तरह आनलाइन भरी जाती हैं और ई-वे बिल सिस्टम की व्यवस्था की गई है।

प्रवेश कर, चौकियां (पोस्ट) और ट्रकों की लाइन न होने से अन्तर्राज्यीय आवाजाही गति तेज, कार्यकुशल और बाधा रहित बनी है।

63. जीएसटी से पहले के समय में अनेक वस्तुओं पर लगाया जाने वाले अधिक कर को युक्तिसंगत बनाया गया है और उपभोक्ताओं विशेषकर गरीबों और मध्यम वर्ग पर प्रभारित कर के भार में काफी कमी की गई है। केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बनी जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से जीएसटी से पूर्व की दरों से कम दरों पर जीएसटी दरों को अंतिम रूप दिया। तब से, दरों में लगातार कमी की गई है जिससे उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष लगभग ₹80,000 करोड़ की राहत मिली है। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश वस्तुएं अब 0% या 5% के कर-स्लैब में हैं। 12% की दर पर सिनेमा देखने के लिए जाने वाले लोगों को 50% तक अनेक टैक्स देने होते थे, अब उन्हें बहुत कम टैक्स देना होता है। हमारी सरकार चाहती है कि मकान खरीदने वाले लोगों पर जीएसटी का भार कम किया जाए और ऐसा करने के लिए हमने जीएसटी परिषद से एक मंत्री समूह नियुक्त करने की पेशकश की ताकि इस संबंध में यथाशीघ्र जांच कर सिफारिशें की जाएं।

64. जीएसटी का उद्देश्य छोटे व्यापारियों, विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को लाभ पहुंचाना है। छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट ₹20 लाख से दोगुनी कर ₹40 लाख कर दी गई है। इसके अलावा, ₹1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को एक आकर्षक कंपोजीशन स्कीम की पेशकश की गई है जिसमें वे केवल एक वार्षिक विवरणी में 1% की समान दर से कर अदा करते हैं। इसी प्रकार, ₹50 लाख तक के छोटे सेवा प्रदाता अब कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दे सकते हैं और 18% की बजाय 6% की दर से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। 35 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, विनिर्माता और सेवा प्रदाता इन व्यापारी हितैषी उपायों से लाभान्वित होंगे। जल्दी ही, जीएसटी का भुगतान करने वाले 90% से अधिक व्यापारियों को तिमाही विवरणी ही भरनी होगी।

65. ऐसी बड़ी दर कटौतियां और छूटों के बावजूद, राजस्व की प्रवृत्ति उत्साहजनक है। चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रहण ₹97,100 करोड़ प्रति माह रहा है जबकि प्रथम वर्ष में यह ₹89,700 करोड़ प्रतिमाह था। राज्यों के राजस्व में सुधार हो रहा है जहां पहले पांच वर्षों के लिए राजस्व में 14% की वृद्धि की गारंटी है।

सीमा-शुल्क और सीमा पार व्यापार में सुधार

66. 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए, हमने सीमा शुल्क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया है। हमारी सरकार ने 36 महत्वपूर्ण वस्तुओं पर शुल्कों को समाप्त कर दिया है। विनिर्माण और निर्यात के लिए आयात शुल्क मुक्त पूंजीगत माल और निविष्टियों के आयात की संशोधित प्रणाली शुरु किए जाने के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत एक स्थल पर अनुमोदन शुरु किया गया है। भारतीय सीमा शुल्क विभाग निर्यात/आयात लेन-देन का पूरा और व्यापक डिजिटलीकरण शुरु कर रहा है और निर्यात से जुड़ी संभारिकी में सुधार लाने के लिए आरएफआईडी का प्रयोग कर रहा है।

काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी

67. हमारी सरकार अपने देश से काले धन की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान काला धन कानून, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, और नोटबंदी के रूप में हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से ₹1,30,000 करोड़ के मूल्य की आस्तियां कर के दायरे में आई हैं, लगभग ₹50,000 करोड़ की परिसंपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी रखने वाले लोगों को अपनी आय के साधन बताने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस अवधि के दौरान, लगभग ₹6,900 करोड़ की बेनामी आस्तियां और ₹1,600 करोड़ की विदेशी आस्तियों को जब्त कर लिया गया है। 3,38,000 शेल कंपनियों की पहचान की गई है और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और उनके निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की वृद्धि और कर आधार में वृद्धि हुई है जब वित्त वर्ष 2017-18 में पहली बार 1.06 करोड़ लोगों ने आय कर विवरणी दाखिल की। यह सब मुख्यतः विमुद्रीकरण के कारण ही संभव हो सका।

अगले दशक के लिए विज़न

68. अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने आने वाले समय के लिए भारत के विकास की बुनियाद रख दी है। हमने उन अनेक समस्याओं को सुलझाया है, जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की संपूर्ण क्षमता को हासिल करने में रोड़ा अटका रही थी। अगले पांच वर्षों में हम 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और इसके बाद अगले 8 वर्षों में 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं।

69. भारतीय संस्कृति में, जो कुछ भी शुभ है, उसके द्वारा दसों दिशाओं में शुभ सृजन और शुभ कर्म की ही अपेक्षा की जाती है। मैं 2030 के भारत के लिए दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों के लिए अपना विज़न प्रस्तुत करूंगा।

70. इस विज़न का पहला आयाम 10 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और सहज-सुखद जीवन के लिए भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करना होगा। इसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, शहरी परिवहन, गैस और विद्युतीय पारेषण और अंतर्देशीय जलमार्ग की अगली पीढ़ी की अवसंरचना शामिल होगी। सामाजिक अवसंरचना के मोर्चे पर प्रत्येक परिवार के पास रहने को अपना आवास होगा, और वे लोग एक स्वस्थ, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक अच्छे माहौल में रहेंगे।

71. हमारे विज़न का दूसरा आयाम एक डिजिटल भारत का निर्माण करना है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, देश के कोने-कोने में पहुंचेगी और हम सभी भारतवासियों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। सरकारी प्रक्रियाओं और निजी संव्यवहारों के डिजिटलीकरण से हालिया वर्षों में प्राप्त सफलता के दम पर 2030 की डिजिटल अवसंरचना और डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। इस प्रयास में हमारा युवा वर्ग डिजिटल भारत के सृजन में बेशुमार स्टार्ट-अप और इस इकोसिस्टम में मिलियन रोजगार का सृजन करते हुए नेतृत्व करेगा।

72. भारत को हरी भरी धरती और साफ स्वच्छ नीले आसमां वाला एक प्रदूषण मुक्त राष्ट्र बनाना हमारी विज्ञान का तीसरा आयाम है। यह भारत बिजली की गाड़ियों पर दौड़ेगा जहां नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होगी। भारत बिजली की गाड़ियों और ऊर्जा संग्रहण उपकरणों के जरिए परिवहन क्रांति में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। आयात पर निर्भरता कम होगी और हमारी जनता के लिए ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

73. आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ग्रामीण औद्योगिकीकरण का विस्तार करके बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना हमारी विज्ञान का चौथा आयाम है। यह आयाम 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण पर आधारित होगा ताकि जमीनी स्तर के क्लस्टर, संरचनाएं और तंत्र विकसित किए जा सकें जिसमें देश के कोने-कोने में फैले एमएसएमई, ग्राम उद्योग और स्टार्टअप शामिल किए जाएंगे। भारत अब विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक निर्माण हब बनने जा रहा है, जिसमें आटोमोबाइल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और चिकित्सा उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

74. हमारी नदियां और जलाशय हमारे जीवन के आधार हैं। गंगा नदी को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। 2030 के भारत के लिए हमारे विज्ञान का पांचवां आयाम स्वच्छ नदियां हैं। जिसमें सभी भारतीयों को स्वच्छ पेयजल, जीवन को पोषण देने वाले जल का लघु सिंचाई तकनीकों के प्रयोग के जरिए सिंचाई में जल का सक्षम तरीके से उपयोग शामिल है।

75. तटवर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और उनकी सार्थक जिंदगी सुनिश्चित करने हेतु, विशेष रूप से "ब्लू इकोनोमी" का दोहन करके, भारत की लंबी तटरेखा अर्थव्यवस्था की शक्ति बन सकती है। सागरमाला कार्यक्रम के प्रयासों में हम तेजी लाएंगे और तेजी से अन्य आंतरिक जलमार्ग विकसित करेंगे। हमारे विज्ञान का छठा आयाम हमारी तटरेखा और समुद्र हैं जो भारत के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

76. हमारे विज्ञान का सातवां आयाम हमारा अनंत आकाश है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम-गगनयान, भारत दुनिया के उपग्रहों को छोड़ने के लिए "लांच पैड" बन गया है और 2022 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना हमारे विज्ञान के आयाम को दर्शाता है।

77. खाद्यान्न में भारत को आत्म निर्भर बनाना, विश्व की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व को खाद्यान्न निर्यात करना और सर्वाधिक जैविक तरीके से खाद्यान्न पैदा करना हमारे विज्ञान का आठवां आयाम है। "मूल्य-वर्धन" पर ध्यान केंद्रित करके आधुनिक कृषि पद्धतियों के जरिए उच्च कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त की जाएगी। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण पैकेजिंग और शीतगारों के रख-रखाव पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

78. स्वस्थ भारत हमारे विज्ञान का नौवां आयाम है। आरोग्यकर वातावरण और आवश्यक स्वास्थ्य अवसंरचना के समर्थन के साथ एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने पर हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। 2030 तक, हम, सभी के लिए मुक्त स्वास्थ्य देख-रेख और एक कार्यात्मक तथा व्यापक आरोग्यकर प्रणाली की दिशा में कार्य करेंगे। समान अधिकार, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के साथ महिलाओं की पूर्ण भागीदारी के स्वस्थ भारत का निर्माण किया जाएगा।

79. हमारे विज्ञान को टीम इंडिया अर्थात् भारत को न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन वाले राष्ट्र में कायापलट करने वाली चुनी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे सहकर्मियों और अधिकारियों द्वारा मूर्त रूप दिया जा सकता है। यह दसवां आयाम है। 2030 के हमारे भारत में ऐसे कर्मठ और जिम्मेदार अधिकारी होंगे जो जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार करेंगे।

80. इस व्यापक दस आयाम वाले विज्ञान के साथ, हम एक ऐसे भारत की रचना करेंगे जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता का नामोनिशान नहीं होगा। भारत एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी चालित, उच्च विकास, समरसतापूर्ण और पारदर्शी समाज होगा।

वर्ष 2019-20 और इससे आगे के राजकोषीय कार्यक्रम

81. मैं आज जिस आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% है। वर्ष 2018-19 के लिए यदि हम राजकोषीय घाटा 3.3% पर बनाए रखते तो 2019-20 में राजकोषीय घाटे को समेकित करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते थे। तथापि, हमने किसानों को आमदनी बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए सं.अ. 2018-19 में ₹20,000 करोड़ और ब.अ. 2019-20 में ₹75,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था की है। यदि हम इस आमदनी समर्थन को छोड़ दे तो, 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा 3.3% से कम और 2019-20 के लिए 3.1 प्रतिशत से कम होता।

82. सं.अ. 2018-19 में कुल व्यय ₹24,57,235 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹27,84,200 करोड़ हो गया है अर्थात् इसमें ₹3,26,965 करोड़ अथवा लगभग 13.30% की वृद्धि हुई है। कम मुद्रास्फीति को देखते हुए यह उच्च वृद्धि दर्शाता है। ब.अ. 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय ₹3,36,292 करोड़ होने का अनुमान है। ब.अ. 2019-20 में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए ₹3,27,679 करोड़ की राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है जबकि सं.अ. 2018-19 में ₹3,04,849 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आवंटन सं.अ. 2018-19 में ₹32,334 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹38,572 करोड़ किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के लिए आवंटन सं.अ. 2018-19 में ₹23,357 करोड़ से बढ़कर ब.अ. 2019-20 में ₹27,584 करोड़ किया जा रहा है।

83. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन में अत्यधिक बढ़ोत्तरी किए जाने का प्रस्ताव है। ब.अ. 2018-19 में अनुसूचित जाति के लिए ₹56,619 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। इसे सं.अ. में बढ़ाकर ₹62,474 करोड़ कर दिया गया है। इस आवंटन को ब.अ. 2019-20 में पर्याप्त रूप से बढ़ाकर ₹76,801 करोड़ किए जाने, अर्थात् ब.अ. 2018-19 के मुकाबले 35.6% वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी ब.अ. 2018-19 में ₹39,135 करोड़ की तुलना में ब.अ. 2019-20 में प्रस्तावित आवंटन राशि को 28% बढ़ाकर ₹50,086 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव है।

84. हमने सरकारी उद्यमों को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी उद्यम परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यसूची का अनुसरण किया है। कुल मिलाकर, 57 सीपीएसई ₹13 लाख करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सूचीबद्ध हैं। 2017-18 के दौरान, सरकार को विनिवेश आय से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष ₹80,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर जाएंगे।

85. हमने 2020-21 तक 3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी गति और लय बरकरार रखी है। वर्ष 2017-18 में भारत का ऋण और जीडीपी अनुपात 46.5% था। एफआरबीएम अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि 2024-25 तक भारत सरकार का ऋण और जीडीपी अनुपात घटाकर 40% तक लाया जाना चाहिए। राजकोषीय घाटा समेकन कार्यक्रम को पूरा करने के साथ-साथ अब हम ऋण समेकन पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।

86. पिछले वर्ष हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम, वित्तीय प्रतिभूतियों के लेन-देन पर लगाए गए और एकत्रित किए गए स्टाम्प शुल्क में सुधार करेंगे। मैं, इस वित्त विधेयक के जरिए, इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। प्रस्तावित संशोधन एक अति विशिष्ट सुचारु प्रणाली की शुरुआत करेंगे। एक लेन-देन से संबंधित एक लिखत पर स्टाम्प शुल्क लगाए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से एक स्थान पर ही एकत्रित किए जाएंगे। इस प्रकार एकत्रित किए गए शुल्क को क्रेता ग्राहक के अधिवास के आधार पर राज्य सरकार के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा।

भाग - ख : कर संबंधी प्रस्ताव

87. भारत के सभी लोगों और हमारी सरकार की ओर से सर्वप्रथम में राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान करने और समाज के गरीब तथा सीमांत वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी करदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। आपके द्वारा दिए गए करों से हमारी माताओं और बहनों को शौचालय सुविधा और कुकिंग गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उन्हें गरिमा प्रदान करने में मदद मिलती है। आपके कर से उन गरीबों को बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं जो पीढ़ियों से अंधकार में रह रहे थे। आपके द्वारा दिए जाने वाले कर से 50 करोड़ भाइयों और बहनों तथा बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। आप ही वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारे सेवानिवृत्त जवानों के लिए सम्मान, गरिमा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। करदाताओं, आपको धन्यवाद।

88. पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारे द्वारा किए गए कर संबंधी वृहत् सुधारों के कारण कर संग्रहण और कर आधार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हम संतुलित कराधान-उच्च अनुपालन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। इसलिए यह न्यायोचित होगा कि कर सुधारों से होने वाले कुछ लाभ मध्यमवर्गीय करदाताओं को भी दिए जाएँ। इसको ध्यान में रख कर मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे करदाताओं के कर भार में और कमी की जाएँ। हालांकि परंपरा के अनुसार मुख्य कर प्रस्ताव नियमित बजट में प्रस्तुत किए जाएंगे, छोटे करदाता विशेषकर मध्यमवर्ग, वेतनभोगी, पेंशनभोगी

और वरिष्ठ नागरिक वर्ष के प्रारंभ में ही अपनी कर देनदारी के बारे में मानसिक निश्चिंतता चाहते हैं। इसलिए, विशेषकर ऐसे वर्ग के व्यक्तियों से जुड़े कर प्रस्ताव लंबित नहीं रखे जाने चाहिए। अतः फिलहाल वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयकर की मौजूदा दरें जारी रखते हुए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

89. जिन करदाताओं की कर योग्य वार्षिक आय ₹5 लाख तक है उन्हें कर में पूर्ण रूप से छूट मिलेगी और इसलिए उन्हें किसी प्रकार का आयकर देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके फलस्वरूप, ₹6.50 लाख तक की सकल आय वाले व्यक्तियों को भी किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा, यदि वे भविष्य निधि, विशिष्ट बचतों, बीमा आदि में निवेश करेंगे। वस्तुतः अतिरिक्त कटौतियों, जैसे कि गृह ऋण पर ₹2 लाख तक का ब्याज, शिक्षा ऋणों पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में अंशदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किए चिकित्सा-व्यय आदि के कारण इससे अधिक सकल आय वाले व्यक्तियों को भी कर का कोई भुगतान नहीं करना होगा। इससे लगभग 3 करोड़ मध्यमवर्गीय करदाताओं को ₹18,500 करोड़ का कर लाभ प्राप्त होगा। इन करदाताओं में अपना व्यवसाय करने वाले, छोटे व्यापारी, वेतनभोगी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे।

90. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को ₹4,700 करोड़ का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।

91. इस समय कल्पित किराए पर आयकर उसी स्थिति में देय होता है जब किसी के पास एक से अधिक ऐसे मकान हों जिनमें स्वयं रह रहा हो। अपनी नौकरी, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों के चलते मध्यम वर्ग द्वारा दो स्थानों पर परिवारों के भरण-पोषण की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, मैं, स्वयं रहने वाले दूसरे मकान के कल्पित किराए पर भी आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

92. बैंकों/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹40,000 की जा रही है। इससे छोटे जमाकर्ताओं और नौकरी न करने वाले दंपतियों को लाभ होगा। इसके अलावा, किराए के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती की सीमा को ₹1,80,000 से बढ़ाकर ₹2,40,000 करने का प्रस्ताव है ताकि छोटे करदाताओं को राहत दी जा सके।

93. आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत पूंजी-गत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा ₹2 करोड़ तक के पूंजी-गत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान में पुनर्निवेश तक बढ़ाया जाएगा। यह छूट जीवन-काल में एक ही बार प्राप्त की जा सकेगी।

94. सस्ते आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आयकर अधिनियम की धारा 80-झखक के तहत दिए जाने वाले लाभ की अवधि एक वर्ष तक और बढ़ाई जा रही है, अर्थात् यह लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित गृह परियोजनाओं को भी दिया जा रहा है।

95. साथ ही, स्थावर संपदा सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए मैंने, न बिकी संपत्तियों के कल्पित किराए पर आय-कर छूट की अवधि, परियोजना पूरी होने वाले वर्ष के अंत से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया है।

समापन टिप्पणी

96. अध्यक्ष महोदया, यह सिर्फ अंतरिम बजट नहीं देश की विकास यात्रा का उत्सव है। यह जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और यश उन्हीं को जाता है। हमारी सरकार में विकास का एक जन आंदोलन बन गया है।

97. हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सबने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। अब उनके साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत खड़ी करेंगे। इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नियत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है।

98. इसी के साथ, मैं यह बजट इस गरिमामय सदन को समर्पित करता हूँ।